रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D (D.N.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 1985/पौष 26, 1906
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 1985/PAUSA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1985

सार्वजनिक सूचना सं. 1-ई टी सी(पी एन)/85

विषय :—लकड़ी और इमारती लकड़ी के निर्यात के लिए नीति ।

फा. सं. 6/1/84-ई.1.—1984-85 के दौरान लकड़ी और इमारती लकड़ी के निर्यात की रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए आयात-निर्यात नीति (खण्ड 2), 1984-85 के अनुबन्ध 2 (पृष्ठ 34) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि कोरी लकड़ी (ब्लैंक्स) की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल बन्द किया जाए ।

3. तदनुसार, अनुबन्ध 2 के पैरा 2(3) और 2(4) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

2(3) चिरी हुई इमारती लकड़ी का अर्थ है—शहतीर, तख्ते, रीपर्स, कड़ियां- बाड़-खूटे या बल्लियां, ब्लैंक्स, इमारती लकड़ी से तैयार किए गए स्लीपर और कड़ियां, चाहे सिझायी हुई हो या नहीं, गोलाकार या चौरस दशाओं में, भारतीय मानक विशिष्टिकरण सं. 1707-1776 में यथा निर्धारित किसी भी तरीके से चिरी हुई हो ; और

2(4) परिष्कृत इमारती लकड़ी का अर्थ उस इमारती लकड़ी से है जो कुन्दो में और चिरी हुई साइजों से भिन्न हो और उस में (क) विनीर (अधिकतम मोटाई 5 मि.मी.), प्लाईवुड, काडं बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और फैक्टरी में बने हुए इसी प्रकार के अन्य उत्पाद (ख) फर्नीचर की मदें, दरवाजों और खिड़कियों के चौखटे, दरवाजो के हैन्डल, संगीत के यन्त्रों के लकड़ी के भाग और सज्जित या ठोकी हुई दशा में अन्य उपभोक्ता या औद्योगिक मदें शामिल है ।
(टिप्पणी: तोकोबशीरा के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी) ।

पी. सी. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th January, 1985

PUBLIC NOTICE NO. 1 ETC (PN)|85

Sub: Policy for export of Wood and Timber.

File No 6|1|84|E-I.—Attention is invited to Annexure II to Vol. II of Import and Export Policy, 1984-85 (page 34) outlining the export policy of Wood and Timber during, 1984-85.

2. It has been decided to ban the export of all varieties of Blanks with immediate effect.

3. Accordingly, paras 2(iii) and 2(iv) of Annexure II shall be substituted by the following:—

2(iii) "Sawn timber" means beams, planks, reepers, rafters, fence posts or poles, banks, sleepers or scantling fashioned from timber, whether seasoned or not, in the round or crossed conditions, whatever be the manner of sawing as laid down in the Indian Standards Specification No. 1707-1776; and

2(iv) "Processed timber" means timber other than those in log and sawn sizes and includes (a) veneer (Maimum thickness 5 mm), plywood, coreboard, particle board and such other factory made products (b) items of furniture, door and window frames, door handles, wooden parts of musical instruments and other consumer or industrial items in assembled or knocked down condition (Note: Export of Tokobashira will not be allowed).

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985